मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2749

17.03.2025 को उत्तर के लिए

लंबित वन दावे

2749. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वन भूमि पर किए गए कितने दावों का निपटान कर दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नंदुरबार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी लंबित वन दावों का ब्यौरा क्या है और उक्त दावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी;

(ग) महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में वन भूमि संबंधी निपटान न किए गए कुल दावों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार वन भूमि संबंधी लंबित दावों के निपटान के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदुरबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दावों का विवरण इस प्रकार है:

जिले का नाम	व्यक्तिगत वन अधिकार दावों को मंजूरी दी गई	
	सं.	क्षेत्रफल (हे. में)
नंदुरबार	27,213	37,742.76
धुले	39,069	24288.75
कुल	**66,282**	**62,031.51**

(ख) से (घ) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नंदुरबार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1925 वन अधिकार दावे लंबित हैं। देश में लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार दावों का राज्यवार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I और II** में दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विभिन्न दिशानिर्देश और सलाह जारी की हैं।

*****

अनुलग्नक I

'लंबित वन दावे' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक

वन भूमि पर व्यक्तिगत वन दावों की कुल संख्या का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, जिनका निपटारा नहीं किया गया है

(31.01.2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए)

क्रम सं.	**राज्य**	**प्राप्त व्यक्तिगत वन दावों की संख्या**	**निपटान हेतु लंबित दावों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	284,870	1,496
2.	असम	148,965	91,640
3.	बिहार	8,022	3,686
4.	छत्तीसगढ	888,028	12,046
5.	गोवा	9,758	8,769
6.	गुजरात	182,869	84,580
7.	हिमाचल प्रदेश	4,880	4,313
8.	झारखंड	107,032	20,796
9.	कर्नाटक	288,549	24,508
10.	केरल	44,455	2,635
11।	मध्य प्रदेश	585,326	8,209
12.	महाराष्ट्र	397,897	27,743
13.	ओडिशा	691,757	86,235
14.	राजस्थान	113,162	481
15.	तमिलनाडु	33,119	5,384
16.	तेलंगाना	651,822	328,343
17.	त्रिपुरा	200,557	3,841
18.	उत्तर प्रदेश	92,577	68
19.	उत्तराखंड	3,587	0
20.	पश्चिम बंगाल	131,962	185
21.	जम्मू और कश्मीर	33,233	77
कुल		**4,902,427**	**715,035**

अनुलग्नक II

'लंबित वन दावे' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तर के लिए एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2749 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुलग्नक

वन भूमि पर सामुदायिक वन दावों की कुल संख्या का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा, जिनका निपटारा नहीं किया गया है

(31.01.2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए)

क्रम सं.	**राज्य**	**प्राप्त सामुदायिक वन दावों की संख्या**	**निपटान हेतु लंबित दावों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	3,294	8
2.	असम	6,046	4,569
3.	बिहार	0	0
4.	छत्तीसगढ	53,949	1,449
5.	गोवा	378	362
6.	गुजरात	7,187	64
7.	हिमाचल प्रदेश	539	393
8.	झारखंड	3,724	117
9.	कर्नाटक	5,940	386
10.	केरल	991	434
11।	मध्य प्रदेश	42,187	2,020
12.	महाराष्ट्र	11,259	447
13.	ओडिशा	28,262	19,500
14.	राजस्थान	5,213	207
15.	तमिलनाडु	1,548	64
16.	तेलंगाना	3,427	1,024
17.	त्रिपुरा	164	0
18.	उत्तर प्रदेश	1,162	0
19.	उत्तराखंड	3,091	0
20.	पश्चिम बंगाल	10,119	179
21.	जम्मू और कश्मीर	12,857	69
कुल		**201,337**	**31,058**